तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मु.नं. 58/2021
09/02/26	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उप0। वकील प्रार्थीगण द्वारा साक्ष्य पेश नहीं कर सीधे बहस की। इमेज प्रा.फा.मूलपर वकील प्रार्थीगण बहस सुनी। बास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 10/02/26 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई
10/02/26	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उप0। बास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 11/02/26 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई
11/02/26	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उप0। प्रार्थीगण वकील बहस पर मनन किया। पत्रावली व संलग्न दस्तावेजात, TDR रिपोर्ट का अवलोकन किया। अतः प्रार्थीगण वकील बहस पर मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131 राज. लैंड रेवेन्यू एक्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसला सुनाया होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] 11/2/26 उप खण्ड अधिकारी बांदीकुई (दौसा)

—

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.एम.) बांदीकुई जिला दौसा

प्रकरण संख्या 56/2025
प्रकरण दायर दिनांक 03.06.2025
प्रकरण निर्णय दिनांक 11.02.2026

1. रामजीलाल पुत्र महादेवा
2. बदरी पुत्र महादेवा
3. काना पुत्र दोला
4. नारायणी पत्नि दोला

} जाति मीना निवासी भांवता तह. बांदीकुई जिला दौसा

बनाम

1. दिनेश पुत्र शम्भू
2. कल्ली देवी पुत्री नानगराम
3. कानाराम पुत्र शम्भू
4. गोपाल लाल पुत्र नानगराम
5. तेजा पुत्र रामसहाय
6. उर्मिला पुत्री शम्भू
7.नरेश कुमार पुत्र नानगराम
8. भौरी देवी पत्नि नानगराम
9. मंजू पुत्री नानगराम
10. मनीषा पुत्री शम्भू
11. रूपनारायण पुत्र शम्भू
12. रामकृपाल पुत्र नानगराम
13. रामफूल पुत्र रामसहाय
1.4. लक्ष्मी पत्नि शम्भू
15. शोभा पुत्र रामसहाय
16. गिर्राज पुत्र सोन्या
17. लदूर पुत्र सोन्या
18. नारायणी पत्नि सोन्या

} समस्त जाति मीना निवासी भांवता तह. बांदीकुई जिला दौसा

19.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बांदीकुई तहसील बांदीकुई जिला दौसा

:— अप्रार्थीगण

२५६—

प्रार्थना पत्र धारा 131 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यु एक्ट

प्रकरण निर्णय दिनांक 11.02.2026

प्रार्थीगण द्वारा विरूद्ध अप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 रा.लै.रे.एक्ट जर्ये वकील श्री नवीन कुमार के इस आशय से पेश किया कि खाता सं. नया 109 पुराना 108 के आराजी खसरा नं. 266 रकबा 0.2500 हैक्टे., खसरा नं. 274 रकबा 0. 1300 हैक्टे. खसरा नं. 275 रकबा 0.3000 हैक्टे., खसरा नं. 284 रकबा 0.0800 हैक्टे., खसरा नं. 293 रकबा 0.1400 हैक्टे., खसरा नं. 294 रकबा 0.1700 हैक्टे., खसरा नं. 295 रकबा 0.2900 हैक्टे., खसरा नं. 300 रकबा 0.0900 हैक्टे., खसरा नं. 301 रकबा 0.2400 हैक्टे., खसरा नं. 319 रकबा 0.6000 हैक्टे., खसरा नं. 367 रकबा 0.3000 हैक्टे., खसरा नं. 369 रकबा 0.6500 हैक्टे. वाके गांव भांवता तहसील बांदीकुई में स्थित है। जो प्रार्थीगण के कब्जे–काश्त की खातेदारी भूमि है। खाता सं. नया 249 पुराना 247 के आराजी खसरा नं. 267 रकबा 0.09 हैक्टे, खसरा नं. 273 रकबा 0. 1500 हैक्टे., खसरा नं. 289 रकबा 0.24 हैक्टे., खसरा नं. 291 रकबा 0.1900 हैक्टे., खसरा नं. 298 रकबा 0.05 हैक्टे., खसरा नं. 299 रकबा 0.05 हैक्टे., खसरा नं. 306 रकबा 0.05 हैक्टे., खसरा नं. 314 रकबा 0.2800 हैक्टे., खसरा नं. 366 रकबा 0.3300 हैक्टे., खसरा नं. 368 रकबा 0.1600 हैक्टे. वाके गॉव भांवता तहसील बांदीकुई में स्थित है। जो अप्रार्थीगण सं. 01 लगायत 18 की खातेदारी की भूमि है जमाबन्दी संलग्न है। प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि आराजी खसरा नं. 367 का रकबा 0.3000 हैक्टे. है परन्तु नक्शा ट्रेस में राजस्व अहलकारान ने खसरा नं. 367 का नक्शा ट्रेस को महज 18 ऐयर का बना रखा है। राजस्व अहलकारान ने विधि विरुद्ध तरीके से प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नं. 367 का नक्शा ट्रेस उसके रकबे से 12 ऐयर कम किया हुआ है जबकि खसरा नं. 367 के पडौसी नं. 366 का रकबा 33 ऐयर का है जो अप्रार्थीगण सं. 01 लगायत 18 की खातेदारी भूमि है। खसरा नं. 366 का नक्शा ट्रेस उसके रकबे 45 ऐयर से अधिक का बना हुआ है। अप्रार्थी नं. 19 को राजस्व रिकॉर्ड, नक्शा ट्रेस में बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना नक्शा ट्रेस में परिवर्तन करने का कोई हक–अधिकार नहीं है। अप्रार्थी नं. 19 द्वारा अप्रार्थीगण सं. 01 लगायत 18 को विधि विरूद्ध तरीके से लाभ पहुँचाने की दुर्भावना से नक्शा ट्रेस में प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नं. 367 को 12 ऐयर कम कर दी गई। जिसका की अप्रार्थी सं. 19 को कोई हक अधिकार नहीं था। अप्रार्थी सं. 19 द्वारा राजस्व नक्शा ट्रेस में किया गया उक्त परिवर्तन अवैध है विधि विरूद्ध है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि खसरा नं. 367 रकबा 0.30 हैक्टे. के नक्शा ट्रेस को जमाबन्दी में दर्ज रकबे के मुताबिक दुरूस्त करवाने का हकदार है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नं. 367 के नक्शा ट्रेस को खसरा नं. 366 की ओर 12 ऐयर भूमि बढ़ाकर उसके रकबे 30 ऐयर के बराबर करते हुये नक्शा ट्रेस को दुरूस्त किया जाना कानूनन एवं इंसाफन न्यायोचित है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि खसरा नं. 367 का मौके पर उसके रकबे के मुताबिक खेत बनाकर काबिज काश्त है। प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 08.04.2025 को अपनी खातेदारी भूमि खसरा नं. 367 का सीमाज्ञान

aype-

करवाया था तब हल्का पटवारी द्वारा नक्शा ट्रेस को नापकर नक्शा ट्रेस के कम नाप का बना होना बताया था। तब प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि खसरा नं. 367 के नक्शे ट्रेस का उसके रकबे से 12 ऐयर छोटा बना होने की जानकारी लगी। तत्पश्चात प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी सं. 19 के समक्ष खसरा नं. 367 रकबा 0.30 हैक्टे. नक्शा ट्रेस को उसके रकबे के मुताबिक दुरूस्त करवाने का आग्रह किया था परन्तु उसके द्वारा न्यायालय में कार्यवाही करने की हिदायत दिये जाने पर श्रीमान् के समक्ष प्रार्थना–पत्र पेश है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण जर्ये रजिस्टर्ड नोटिस/सम्मन से की गयी। अप्रार्थीगण बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस इस न्यायालय में उपस्थित नहीं आये अतः न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 21.11.2025 को अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रकरण में तहसीलदार बांदीकुई से रिपोर्ट प्राप्त की गयी। तहसीलदार बांदीकुई के पत्र क्रमांक/भू.अ./2025/9923 दिनांक 12.11.2025 के द्वारा प्रकरण में रिपोर्ट प्रस्तुत की कि प्रार्थना पत्र में अंकित ग्राम भांवता के खाता सं. 109 के ख.नं. 266 रकबा 0.25 है०, ख.नं. 274 रकबा 0.13 है०, ख.नं. 275 रकबा 0.30 है० ख.नं. 284 रकबा 0.08 है०, ख. नं. 293 रकबा 0.14 है०, ख.नं. 294 रकबा 0.17 है०, ख.नं. 295 रकबा 0.27 है०, ख.नं. 300 रकबा 0.09 है०, ख.नं. 301 रकबा 0.24 है०, ख.नं. 319 रकबा 0.60 है०, ख.नं. 367 रकबा 0.30 है०, ख.नं. 369 रकबा 0.65 है० कुल किता 12 कुल रकबा 3.22 है0 की खातेदारी काना पुत्र दौला हि. 1/6 नारायणी पत्नी दौला हि. 1/6 बदरी पुत्र महादेवा हि.1/3 रामजीलाल पुत्र महादेवा हि. 1/3 जाति मीना सा. देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। जमाबन्दी की प्रति पत्र के साथ संलग्न है। ग्राम भांवता के ख.नं. 267 रकबा 0.09 है० ख.नं. 273 रकबा 0.15 है० ख.नं. 289 रकबा 0.24 है० ख.नं. 291 रकबा 0.19 है० ख.नं. 298 रकबा 0.05 है० ख.नं. 299 रकबा 0.05 है० ख.नं.306 रकबा 0.05 है० ख.नं. 314 रकबा 0.28 है० ख.नं. 366. रकबा 0.33 है० ख.नं. 368 रकबा 0.16 है० कुल किता 10 कुल रकबा 1.59 है० की खातेदारी उर्मिला पुत्री शम्भू हि. 1/36 कल्लीदेवी पुत्री नानगराम हि 1/36 कानाराम पुत्र शम्भू हि. 1/36 गोपाल लाल पुत्र नानगराम हि.1/36 तेजा पुत्र रामसहाय हि. 1/6 दिनेश पुत्र शम्भू हि. 1/36 नरेश कुमार पुत्र नानगराम हि. 1/36 भौरीदेवी पत्नी नानगराम हि. 1/36 मंजू पुत्री नानगराम हि. 1/36 मनीषा पुत्री शम्भू हि. 1/36 रूपनारायण पुत्र शम्भू हि. 1/36 रामफूल पुत्र रामसहाय हि. 1/6 लच्छी पत्नी शम्भू हि. 1/36 शोभा पुत्र रामसहाय रामकृपाल पुत्र नानगराम हि. 1/36 हि. 1/6 सोन्या पुत्र रामसहाय हि. 1/6 जाति मीना सा. देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। जमाबन्दी की प्रति पत्र के साथ संलग्न है। ग्राम भांवता के ख.न. 367 का रकबा जमाबन्दी में 0.30 है० अंकित है जबकि नक्शे में ख.न. 367 की रकबा बरारी करने पर ख.न. 367 का रकबा 0.18 ही बैठता है। इसी प्रकार ग्राम भांवता के ख.न. 366 का रकबा जमाबन्दी में 0.33 है० अंकित है जबकिं नक्शे में ख.न. 366 की रकबा बरारी करने पर ख.न. 366 का रकबा 0.36 है० बनता है। इसी प्रकार ग्राम भांवता के ख.न. 367 के लगते हुये ख.न. 368 का रकबा जमाबन्दी में 0.16 है० अंकित है जबकि नक्शे में ख.न. 368 की रकबा बरारी करने पर ख.न. 368 का रकबा 0.17 बैठता है। प्रार्थी ग्राम भांवता के ख.न. 367 की आकृति नक्शे में 0.18 है० के बजाय 0.30 है. की करवाना चाहता है जिसके लिये प्रार्थी को

xधE-

0.12 है रकबे की आवश्यकता है। जबकि ख.न. 367 के लगते हुये ख.न. 366 में 0.03 है० व ख.न. 368 में 0.01 कुल 0.04 है. रकबा बेसी है। इसी प्रकार अन्य खसरा नम्बरों के नक्शे की रकबा बरारी के रकबे व जमाबन्दी में अंकित रकबे की तुलना में कमी व बेसी का अन्तर है। अतः प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के किसी भी खसरे के रकबे की जमाबन्दी के अनुसार पूर्ति करने पर राजस्व नक्शे अधिकांश खसरे प्रभावित होंगे ।प्रार्थी वकील एवं पैरोकार सरकार द्वारा प्रकरण पर बहस की गयी। तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण में अंकित ख.न. 367 के लगते हुये ख.न. 366 में 0.03 हैक्टेयर व ख.न. 368 में 0.01 कुल 0.04 है. रकबा बेसी है। अतः प्रार्थी वकील एवं पैरोकार सरकार की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र व तहसीलदार बांदीकुई की रिपोर्ट के अवलोकन के आधार प्रार्थी प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना प्रतीत होता है।

अतः वकील प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार बहस पर मनन करने एवं प्रार्थी प्रार्थना पत्र एवं तहसीलदार रिपोर्ट के अवलोकन के आधार पर प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 एल. आर.एक्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा तथा तहसीलदार बॉदीकुई को आदेश दिया जाता है कि आपकी रिपोर्ट दिनांक 12.11.2025 के अनुसार आप ग्राम भांवता तहसील बॉदीकुई जिला दौसा में स्थित आराजी खसरा नं. 366 में से 0.03 हैक्टेयर व खसरा नंबर 368 में से 0.01 हैक्टेयर कुल भूमि 0.04 हैक्टेयर नक्शा ट्रेस/शीट में कम करते हुए यह भूमि वादीगणों/प्रार्थीगणों के खसरा नं. 367 के नक्शा ट्रेस में सम्मिलित करते हुए विधिवत राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। तहसीलदार बॉदीकुई को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा निर्णय आज दिनांक 11.02.2026 को लिखा एवं सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

11/2/26

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
बॉदीकुई